

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

राजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.9 ()/आरएमएससी/भण्डार/मु.वाहन/2015-16/4531

दिनांक : 19/02/2015


निविदा सूचना

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में मासिक/दैनिक आधार पर डीजल वाहन वर्ष 2015-16 (माह अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक) 1 वर्ष के लिए अनुबन्ध के आधार पर लिए जाने हेतु व्यक्तिगत वाहन मालिक/फर्म/ट्रेवल एजेंसियों से निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	वाहनों के प्रकार	अनुमानित लागत (₹ लाखों में)	धरोहर राशि (₹ लाखों में)	निविदा प्रपत्र शुल्क (₹)	निविदा प्रपत्र क्रय की अंतिम तिथि व समय	निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि व समय	निविदा खोलने की अंतिम तिथि व समय
1	मासिक आधार पर 9 डीजल वाहन	इण्डिका विस्टा/ इण्डिगो/ बोलेरो						
2	दैनिक आधार पर माँग के अनुसार	इण्डिका विस्टा/ इण्डिगो/ बोलेरो/ इनोवा	30.00	0.60	500.00	10.03.2015 1.00 PM	10.03.2015 3.00 PM	10.03.2015 5.00 PM

नोट:-

1. निविदा प्रपत्र राशि ₹ 500/- डी.डी./बैंकर चैक (प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के पक्ष में देय) निगम कार्यालय में जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।
2. निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें www.rmsc@nic.in पर देखी जा सकती है एवं निविदा प्रपत्र निगम की वेबसाइट से डाउनलोड कर निर्धारित निविदा शुल्क के साथ भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. प्रत्येक प्रकार के वाहन की मासिक व दैनिक आधार पर पृथक्-पृथक् दरें दी जानी हैं।


प्रबन्ध निदेशक एवं
पदेन प्राप्तिन विशिष्ट सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

राजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल: rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.9 ()/आरएमएससी/भण्डार./मु.वाहन/2015-16/4531

दिनांक : 19/02/15

वाहनों हेतु निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें

1. निगम में 9 वाहन (08 इण्डिगो एवं 01 बोलैरो) वर्ष 2015-16 में (माह अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक) 01 वर्ष की अवधि के लिए मासिक/दैनिक अनुबन्ध पर लिए जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। वाहनों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
2. इच्छुक निविदादाता (व्यक्तिगत वाहन मालिक/फर्म/ट्रेवल एजेन्सी) अपनी निविदा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत करेंगे। निविदा प्रपत्र कार्यालय से कार्यदिवसों में दिनांक 10.03.2015 को 1.00 बजे तक ₹ 500/- डी.डी/बैंकर चैक प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के पक्ष में प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र निगम की वेबसाइट www.rmsc.nic.in से डाउनलोड कर निर्धारित निविदा शुल्क के डी.डी/बैंकर चैक के साथ भी प्रस्तुत किया जा सकता है। निविदा फार्म राशि वापस नहीं की जाएगी।
3. निविदाएँ सील बन्द लिफाफे में दिनांक 10.03.2015 को अपराह्न 3.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निविदा दो रूप में यथा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में होगी। निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें तथा संबंधित लिफाफों पर क्रमशः "तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा" अंकित करें। तकनीकी निविदा (अनुसूची-I एवं II) एवं वित्तीय निविदा (अनुसूची-III) के बन्द लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर जमा करानी होगी। तकनीकी रूप से सफल निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
5. तकनीकी निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न करने होंगे:-
 1. अमानत राशि ₹ 60,000 का डिमाण्ड ड्राफ्ट (बैंकर्स चैक जो कि प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर के पक्ष में देय हो)।
 2. भारत सरकार के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से जारी सेवाकर (Service Tax) के पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
 3. औसत वार्षिक टर्न ऑवर के लिए गत तीन वर्षों का अकेक्षित लाभ-हानि खाता/आय-व्यय खाता/प्राप्ति-भुगतान खाता/आयकर विवरणी/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा जारी विवरण पत्र (गत तीन वर्षों का औसत ₹ 5.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए)।
 4. भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा जारी PAN नम्बर की प्रमाणित प्रति।

(0)

6. निविदाएं क्रय समिति के समक्ष अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 10.03.2015 को सायं 5.00 बजे खोली जाएगी जिसमें निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
7. तकनीकी और वित्तीय रूप से सफल निविदादाता को ही अनुबन्ध का पात्र माना जाएगा।
8. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रूप में ₹ 60,000/- की राशि प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में जमा करानी होगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि प्रत्याभूति राशि में समायोजित कर ली जाएगी तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि निगम द्वारा लौटा दी जाएगी।
9. निविदाएँ विज्ञप्ति में वर्णित वाहनों के संबंध में ही होनी चाहिए। वाहनों का मॉडल 2011 से पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा मासिक अनुबन्ध के आधार पर वांछित वाहनों के मेक/मॉडल के अलावा अन्य मेक/मॉडल की दरों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
10. निविदा की दरों का आधार – अनुबन्धित वाहन जो टैक्सी के रूप में परिवहन विभाग में पंजीकृत होगा, मय वाहन चालक की सेवाओं सहित लिया जाएगा। अनुबन्धित प्रति वाहन को निर्धारित मासिक दर में न्यूनतम 1500 किमी चालन मासिक दर के आधार पर, निविदा में स्वीकृत दर अनुसार भुगतान देय होगा। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा दरों में संशोधन होने पर (Cost Escalation) अनुपातिक रूप से बढ़ोतरी देय होगी।
11. साधारणतया अनुबन्धित वाहन कार्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक कार्य करेगा परन्तु आवश्यकतानुसार उक्त समय से पूर्व व पश्चात् एवं राजपत्रित अवकाश को भी वाहन का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके लिये पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।
12. उपर्युक्त न्यूनतम 1500 किमी प्रति माह चलने के उपरान्त वाहन यदि अतिरिक्त चलेगा तो उसका भुगतान निविदा में सफल निविदादाता के द्वारा दी गई दर के आधार पर प्रति किमी देय होगा।
13. वाहन उपलब्ध नहीं कराने/गैर हाज़िर रहने/खराब होने/ दुर्घटना होने पर तत्काल अन्य वाहन निविदादाता द्वारा (जिसकी स्थिति अनुबन्धित वाहन जैसी होगी) की तत्काल व्यवस्था की जाएगी। वाहन की व्यवस्था नहीं होने पर प्रतिदिन दर का 110 प्रतिशत काटा जाएगा, निगम द्वारा यदि वाहन बाजार से लिया जाएगा तो उसका आधार रिस्क एण्ड कोस्ट (Risk and Cost) होगा जिसकी पूर्ति निविदादाता के अनुबन्ध राशि से की जाएगी।
14. वाहन के सभी प्रपत्र (बीमा, रजिस्ट्रेशन, प्रदूषण, वाहन चालक का लाईसेंस या अन्य जो कानूनन जरूरी है आदि) वाहन के साथ उपलब्ध होने चाहिए तथा उसका व्यय भार भी अनुबन्धकर्ता को ही वहन करना पड़ेगा।


/s/

15. एक बार वाहन उपलब्ध कराने के पश्चात् वाहन चालक का चयन होने पर साधारणतः वाहन चालक केवल अपरिहार्य कारणों से ही बदला जा सकेगा/सकेंगे व वाहन चालक को ही अनुबन्धित वाहन के चालक के स्थान पर भेजेगा। वाहन चालक को निगम द्वारा एक निर्धारित गणवेश में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित गणवेश (uniform) का व्यय सफल निविदादाता को ही वहन करना होगा। वाहन चालक पूरी सविदा अवधि में एक या दो हो सकते हैं। कुल वाहनों के वाहन चालकों की सूची देगा जिन्हें बार-बार नहीं बदला जाएगा। वाहन चालक के पास सक्षम परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी की हुई वैध अनुज्ञप्ति (Licence) होनी चाहिए जिसकी वैधता अनुबन्ध के पूर्ण समय तक होनी चाहिए। वाहन चालक स्थिरचित का शारीरिक रूप से पूर्ण सक्षम व्यक्ति होना चाहिए। जिसका व्यवहार मर्यादित एवं आचरण गरिमापूर्ण होना चाहिए।
16. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना पड़ेगा। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबन्धकर्ता को निविदा राशि का 5 प्रतिशत बतौर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में प्रबंध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी। यह राशि अनुबन्ध के सन्तोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने पर दो माह उपरान्त वापिस लौटा दी जाएगी। इस राशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
17. करार के पूर्ण किए जाने के लिए स्टाम्प पेपर का व्यय निविदादाता द्वारा संदत्त किया जाएगा और निगम को करार का स्टाम्प शुद्ध प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा।
18. जो निविदाएँ निर्धारित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं की जाएगी उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. निविदा प्राधिकारी न्यूनतम प्राप्त दर को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं किसी भी निविदा या उसके भाग को बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त न्यूनतम दर प्राप्त एजेन्सी के अलावा इसी दर पर अन्य एजेन्सी से वाहन लिए जाने हेतु निविदा प्राधिकारी स्वतंत्र है।
20. निविदादाता को रजिस्ट्रेशन एवं सेवा कर (Service Tax) का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
21. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा।
22. ए.सी. वाहन के लिए क्या अतिरिक्त दर होगी, अलग से अंकित किया जाए।
23. सफल निविदादाता प्रत्याभूति राशि आदेश प्राप्ति के सात दिवस के अन्तर्गत जमा कराएगा व अनुबन्ध करेगा। यदि इस अवधि में वह अनुबन्ध व सिक्यूरिटी राशि जमा नहीं कराएगा तो उसकी बोली प्रतिभूति (Bid Security) जब्त कर दूसरे निविदादाताओं को अवसर दिया जाएगा। प्रक्रिया में विलम्ब हेतु उसे उत्तरदायी माना जाएगा।

24. अनुबन्धकर्ता एक रजिस्टर का संधारण करेगा, जिसमें वाहन की माँगों के सम्बन्ध में लिखेगा व अतिरिक्त वाहन तुरन्त उपलब्ध कराएगा।
25. मासिक वाहनों के अतिरिक्त वाहन जो समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के होंगे। समय पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
26. मासिक अनुबन्ध पर जो भी वाहन अनुबन्धित किये जाएँगे उन्हें बार-बार नहीं बदला जाएगा एवं आरएमएससी कार्यक्षेत्र एवं उसके बाहर के राज्यों / शहरों में सक्षम स्वीकृति लेकर उनका उपयोग किया जा सकेगा जिसका भुगतान पूर्व निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जा सकेगा।
27. वाहन की लॉग बुक चालक के पास रहेगी तथा प्रतिदिन वाहन का संचालन कार्यालय अवधि में उपयोग की ली गई वाहन का किमी की परिचालन की गणना संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन लॉग बुक में प्रविष्टियाँ दर्ज करानी होंगी एवं वाहन का घर से आने-जाने का किमी देय नहीं होगा। प्रत्येक माह की 5 तारीख तक गत माह का बिल लॉग बुक के आधार पर प्रस्तुत करेगा। यदि उक्त अवधि में बिल प्रस्तुत नहीं किए गए तो समय पर भुगतान की जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी।
28. किसी भी प्रकार की वाहन की टूट-फूट होने या दुर्घटना होने पर निगम उत्तरदायी नहीं होगा। इसकी समस्त जवाबदेही वाहन मालिक की होगी। क्रेई भी न्यायिक / श्रम नियम / अन्य नियम की पालना का उत्तरदायित्व भी वाहन मालिक का होगा।
29. अनुबंधित वाहन के मरम्मत पर जाने पर निगम को सूचित करना होगा एवं दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा, जो अनुबंधित वाहन के समान अथवा बेहतर हो।
30. वाहन में लगा मीटर सील किया हुआ होना आवश्यक है, जो कि बिना किसी अधिकृत अधिकारी की स्वीकृति के नहीं खोला जाएगा। इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी करने पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।
31. मासिक रूप से अनुबन्धित वाहन को निगम के निर्देशानुसार उपयोग करना होगा।
32. निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए अनुबंधित वाहन को हटा सकता है। जिसकी सूचना सम्बन्धित फर्म को भिजवा दी जाएगी।
33. यह वाहन अनुबंध निविदा पर अनुबन्ध दिनांक से प्रभावी होगा तथा एक वर्ष के लिए मान्य होगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
34. टोल टैक्स व एयरपोर्ट या पार्किंग स्थल के शुल्क राज्य से बाहर जाने पर अन्य राज्य में लगाने वाला कर, निगम द्वारा देय होंगे परन्तु प्रथमतः यह टैक्स अनुबन्धकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
35. वाहन चालक को रात्रि विश्राम शुल्क (Night halting charge) राशि ₹ 150/- प्रति रात्रि देय होगा।
36. टी.डी.एस., सरचार्ज तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अन्य कर मासिक बिल में से काट कर नियमानुसार सम्बन्धित निगम/संस्था में जमा कराए जाएँगे जिसकी रसीद निर्धारित प्रपत्र में निगम द्वारा वाहन मालिक को दी जाएगी। यह समस्त कर राशि, स्वीकृत राशि में से ही काटी जाएगी एवं अलग से देय नहीं होगी तथा सेवा कर यदि लागू हो तो निगम द्वारा अतिरिक्त दिया जाएगा।

101

37. वाहन के संबंध में किसी प्रकार की गैर कानूनी अनियमितता पाए जाने पर निगम तुरन्त प्रभाव से वाहन को हटा सकेगा। जिसके संबंध में वाहन मालिक को कोई हर्जाना देय नहीं होगा तथा कार्य सम्पादन प्रत्याभूति (Performance Security) जब्त कर ली जाएगी।
38. मासिक आधार पर जो वाहन राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन हेतु रखा जाएगा उसका उल्लेख अनुबन्ध में किया जाएगा और ये वाहन किसी दूसरे उपयोग में नहीं लिए जाएंगे। यदि इन वाहनों का उपयोग किसी दूसरे उपयोग में लेते हुए पाया गया तो अनुबन्ध समाप्त कर प्रत्याभूति राशि व बची राशि जब्त कर ली जाएगी व उसका समस्त उत्तरदायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
39. राजकीय नियमानुसार वाहनों पर निगम का नाम अनुबन्धकर्ता द्वारा लिखवाया जाएगा।
40. बोली प्रतिभूति (Bid Security) का समपहरण निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा :-
1. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को परिवर्तित (मॉडिफिकेशन) कर देता है।
 2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता।
 3. जब आदेश दिए जाने के पश्चात् नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।
 4. जब निर्धारित समय में अनुबन्धित वाहनों की सेवाओं की व्यवस्था प्रारम्भ करने में विफल रहता है।
 5. अन्य कारण
41. प्रत्याभूति राशि को निम्न परिस्थितियों में समपहरण किया जा सकता है:-
1. जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तों को भंग किया जाता है।
 2. जब निविदादाता सन्तोषप्रद रूप से सेवाएँ देने में विफल रहता है।
 3. प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। समय के सम्बन्ध में निगम का निर्णय अन्तिम रहेगा।
42. तकनीकी निविदा के साथ वाहनों के अनुबन्ध पत्र जो एजेन्सी ने कराएँ हैं, मूल प्रति उपलब्ध करवानी होगी।
43. निविदा प्राधिकारी प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर है।
44. न्यायिक विवाद का क्षेत्र जयपुर स्थित न्यायालय ही होंगे।
45. किसी भी विवाद में प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।


 प्रबन्ध निदेशक एवं
 पदेन शर्मान विशिष्ट सचिव,
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल :rmisc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : www.rmisc.nic.in

अनुसूची-I

जयपुर दिनांक, 2015

निविदा फॉर्म

I. प्रेषक:

1.	निविदा प्राधिकारी का नाम	प्रबंध निदेशक, आरएमएससी
	पता	डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)-302005
	दूरभाष नं.	0141-2228060 फेक्स नं. 0141-2228065

II. निविदा संदर्भ क्रमांक :एफ.9 ()/आरएमएससी/भण्डार/मु.वाहन/2015-16/ दिनांक

III.

1.	निविदादाता का नाम	
2.	संबद्ध व्यक्ति का नाम	
3.	पंजीकृत कार्यालय का पता	
4.	दूरभाष नं.	
5.	फैक्स नं.	

IV. निविदा-फॉर्म फीस (₹ 500/-) डी.डी./बैंकर्स चैक संख्या दिनांक द्वारा जमा कर दी गई है।

V. प्रस्तुत दरें अनुबन्ध की अवधि से आगामी एक वर्ष तक प्रभावी होगी। यदि सफल निविदादाता की सेवाएँ सन्तोषप्रद पाई जाती हैं तो इन दरों व अनुबन्ध को आपसी सहमति से सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

VI. अमानत राशि जमा कराने का विवरण:-

	अमानत राशि जमा (बैंक का नाम सहित)	संख्या	दिनांक	राशि (₹)
1.	डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक			

हस्ताक्षर निविदादाता
फर्म मय मुहर

10

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : www.rmsc.nic.in

अनुसूची-II

जयपुर दिनांक

तकनीकी निविदा

1.	निविदादाता का रजिस्ट्रेशन न. व वर्ष: व्यक्तिगत:- फर्म:- ट्रेवल एजेन्सी:-			
2.	निविदादाता के द्वारा सरकारी विभागों एवं निजी संस्थाओं को दर अनुबन्ध पर उपलब्ध कराए गए वाहनों की संख्या मय वाहन नम्बर (वर्ष अनुसार) एवं अनुबन्ध की प्रति			
3.	निविदादाता का वित्तीय टर्न ऑवर अंकेक्षित लाभ हानि खाता/आय-व्यय खाता/प्राप्ति-भुगतान खाता/आयकर विवरणी/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा जारी विवरण पत्र के अनुसार (गत 3 वर्षों का औसत ₹ 5 लाख):	2011-2012	2012-2013	2013-14
4.	निविदादाता के पास उपलब्ध गाड़ियों की संख्या जो निविदादाता के नाम रजिस्टर्ड है या लिखित में अनुबन्धित है, अनुबन्ध संलग्न करें। a. स्वयं के नाम/अनुबन्धित • वाहन संख्या • वाहन का मेक/मॉडल • मेक/मॉडल का वर्ष b. ट्रेवल एजेन्सी से अनुबन्धित वाहन • वाहन संख्या • वाहन का मेक/मॉडल • मेक/मॉडल का वर्ष (अनुबन्ध केवल वे ही मान्य होंगे जो अप्रैल, 2014 के पूर्व के होंगे)			
5.	सम्पर्क सूत्र व्यक्ति के नम्बर	दूरभाष:-	मोबाईल:-	
6.	निविदादाता के मुख्यालय एवं शाखाओं का स्थापित स्थान			
7.	कार्यालय में संचार व्यवस्था (टेलीफोन, फैक्स, मोबाईल)			
8.	ड्राइवर के नाम मय लाईसेंस नम्बर एवं उनकी संख्या			
9.	क्या फर्म का एक्साईज विभाग के साथ पंजीकरण है- यदि हाँ, तो सेवा कर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।			
10.	आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)			

हस्ताक्षर निविदादाता
फर्म मय मुहर

01

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

रजि. कार्यालय: डी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फ़ैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल : rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.9 () / आरएमएससी / भण्डार / मु.वाहन / 2015-16 /

दिनांक :

अनुसूची-III

वित्तीय निविदा

सामान्य वित्तीय शर्तें:-

1. वाहन दो प्रकार से अनुबन्धित होंगे। प्रथम मासिक आधार पर एवं द्वितीय दैनिक आवश्यकता के आधार पर।
2. मासिक आधार पर वाहन की दर एक माह में न्यूनतम 1500 किमी चालन करने को सम्मिलित करते हुए देगा, क्योंकि 1500 किमी तक एक माह में चलने पर कोई अतिरिक्त राशि अनुबन्धकर्ता को देय नहीं होगी।
3. 1500 किमी के पश्चात् वाहन को प्रति किलोमीटर के आधार पर अतिरिक्त दर दी जाएगी। यह दर वित्तीय निविदा में न्यूनतम एवं सफल निविदादाता की दर के आधार पर होगी।
4. तकनीकी स्तर पर सफल निविदादाता की दरें 1500 किमी की एवं अतिरिक्त किमी की दरों के आधार पर जिसकी न्यूनतम दरें होगी को सफल निविदादाता घोषित किया जाएगा।
5. ए.सी. वाहन हेतु क्या अतिरिक्त दर होगी, अंकित की जाए।

(क) श्रेणी के वाहन जो- जिन्हें मासिक आधार पर अनुबन्धित किया जाना है।

मासिक आधार पर अनुबन्ध की दर

वाहन का नाम (मेक सहित) डीजल कार	दर प्रतिमाह (1500 किमी) (₹)		1500 किमी के अतिरिक्त प्रति किमी के लिए दर (₹)		ए.सी. प्रयोग में लेने पर प्रति किमी अतिरिक्त दर (₹)
	अंकों में	शब्दों में	अंकों में	शब्दों में	
Indica Vista					
Indigo					
Bolero					
Indica					

हस्ताक्षर निविदादाता
फर्म मय मुहर

5)

(ख) श्रेणी के वाहन जिन्हें— प्रतिदिन के प्रति किलोमीटर के आधार पर अनुबन्धित किया जाना है।

प्रतिदिन एवं प्रति किलोमीटर की दरें

मासिक आधार पर अनुबन्धित वाहनों के अतिरिक्त निगम को अपनी प्रतिदिन की आवश्यकता पड़ने पर दैनिक आधार पर अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने की शर्तें—

1. मासिक दर पर अनुबन्धित वाहनों के अतिरिक्त दिन प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। जिन्हें केवल प्रतिदिन व प्रति किलोमीटर की दर के आधार पर सफल निविदादाता को निगम को तत्काल उपलब्ध कराना होगा।
2. यह वाहन सफल निविदादाता को अधिकतम 2 घण्टें में निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराने होंगे। यदि 2 घण्टे में यह वाहन अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाएँगे तो इन वाहनों/वाहन को बाजार से मँगवा लिया जाएगा और उस पर अतिरिक्त व्यय होगा तो उसे अनुबन्धकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।
3. यह वाहन यदि जयपुर मुख्यालय से बाहर जाएगा तो 250 किमी तक न्यूनतम चालन की गणना की जाएगी एवं 250 किमी के पश्चात् जो प्रति किमी दर निविदा में स्वीकृत हुई है उसके आधार पर दी जाएगी।
4. इस वाहन के चालक को नियमानुसार नाईट हॉल्टिंग चार्जेज आरएमएससी द्वारा देय होंगे।
5. वाहन पर आरोपित टोल-टैक्स, अन्तर्राज्यीय टैक्स इत्यादि, यदि भारित होता है तो वह देय होगा।
6. अन्य सभी सामान्य शर्तें जो ऊपर दी गई है वह इस पर भी लागू होंगी।
7. ए.सी. वाहन हेतु क्या अतिरिक्त दरें होंगी ? अंकित करें।

१७

निगम द्वारा आवश्यकता पड़ने पर दैनिक आधार पर अतिरिक्त वाहन उपलब्ध कराने की दरें:-

जयपुर मुख्यालय पर प्रतिदिन के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने की दर (₹)						जयपुर मुख्यालय से बाहर हेतु प्रतिदिन एवं प्रति किलोमीटर के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने की दर (₹)	
वाहन का नाम (मेक सहित) डीजल कार	दर प्रतिघण्टा (₹)					न्यूनतम 250 किमी	250 किलोमीटर के अतिरिक्त प्रति किमी की दर
	वाहन की दरें	4-6 घण्टे (40-60 किमी)	6-8 घण्टे (60-80 किमी)	8 घण्टे के अतिरिक्त घण्टे (10 किमी प्रतिघण्टा)	80 किमी के अतिरिक्त किमी के लिए प्रति किमी दर		
Indica Vista	A.C						
	Non A.C.						
Innova	A.C						
	Non A.C.						
Indigo	A.C						
	Non A.C.						
Bolero	A.C						
	Non A.C.						

हमें निविदा सूचना एवं निविदा पत्र में अंकित समस्त शर्तें मान्य हैं एवं हम ने प्रत्येक पृष्ठ पर अपनी टोकन सहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर किए हैं।

दिनांक : 2015

हस्ताक्षर निविदादाता
फर्म मय मुहर

/